राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1086/2013/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स संभाग–तृतीय,
जयपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स भूमिका कन्सट्रक्शन,
सरस्वती कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/08/2017

निर्णय

1. राजस्व की ओर से उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, संभाग–III, जयपुर द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के तहत विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र हेतु पारित आदेश दिनांक 09.02.2012 को अपास्त कर पुनः आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।

2. राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से अवशेष बाउंड्री वॉल के निर्माण का ठेका रुपये 8.83 लाख का प्राप्त हुआ था, जिसके जी–शेड्यूल के कार्यादेश में बांउड्री वॉल का विषय अंकित किया हुआ है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कार्य के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना, 2005-80 Dated 11.08.2006 के तहत 1.5 प्रतिशत की शुल्क दर के साथ विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस कार्य को अधिसूचना में कार्यसंविदा की आईटम संख्या 2 के अधीन नहीं होना मानते हुये 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत की शुल्क दर से प्रमाण पत्र जारी किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने रेकार्ड की जांच पर यह निर्णय किया है कि व्यवहारी का कार्य Work Contract relating to buildings के अधीन होने से वे 1.5 प्रतिशत की दर से ही शुल्क योग्य है क्योंकि व्यवहारी द्वारा किया जाने वाला कार्य बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य था

लगातार........2

जो कि Realting to Building है। अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया एवं रेकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि कार्यादेश की जी. शेड्यूल में बाउन्ड्री वॉल बनाने से संबंधित प्रत्येक कार्य का विवरण है जो केवल मात्र बाउन्ड्री वाल के लिये ही होने से यह कार्य Relating to building के अधीन होने से इस विवाद पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष पूर्णतया उचित है अतः राजस्व की अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य